बजाज फाइनैंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

कार्पोरेट कार्यालय : ऑफ पुणे–अहमदनगर रोड, विमान नगर, पुणे – 411014
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल आररराम आर्केड, इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर, झांसी तिराहा एबी रोड, शिवपुरी, मध्य प्रदेश–473551

कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों को कब्जा के उपरांत सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के तहत]

1. सत्येन्द्र धाकड पुत्र जगदीश धाकड़, निवासी वार्ड नंबर 1, संत फार्म जगतपुर कोलारस शिवपुरी, मध्य प्रदेश–473774, अन्य पता : निवासी 0 रेल पटरी के पास जगतपुर कोलारस शिवपुरी, मध्य प्रदेश–473770
2. श्रीमती वर्षा धाकड पुत्र जगदीश धाकड़, निवासी वार्ड नंबर 1, संत फार्म जगतपुर कोलारस शिवपुरी, मध्य प्रदेश–473774
3. मैसर्स सत्येन्द्र किराना स्टोर इसके स्वामी सत्येन्द्र धाकड़ के माध्यम से, निवासी 0 रेल पटरी के पास जगतपुर कोलारस शिवपुरी, मध्य प्रदेश–473770

प्रिय महोदय/महोदया,
विषय : वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अधीन लिए गए कब्जा के बारे में सूचना।

जैसाकि आपको विदित है कि अधोहस्ताक्षरी ने बजाज फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक मांग सूचना दिनांकित **16–05–2024** जारी की थी, जिसमें आपसे कुल योग राशि **रू. 21,00,270/– (रूपये इक्कीस लाख दो सौ सत्तर मात्र)** उस पर ब्याज तथा लागत एवं अन्य अनुषंगी खर्चों सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

तथापि, उक्त सूचना की प्राप्ति के बावजूद आप उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि चुकाने में असफल रहे हैं और उपेक्षा की है, अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित इसके नियमों के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा **20–09–2024 को अप. 2 बजे से अप. 4 बजे तक** ले लिया है। उक्त सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :

सम्पत्ति का विवरण :

सम्पत्ति की अनुसूची : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि सर्वे नंबर 39/3/1/1 पीएच. नंबर 33 वार्ड नंबर 1 आरएनएम कोलारस ब्लॉक कोलारस, ग्राम जगतपुर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश) 473770 (क्षेत्रफल परिमाप 750 वर्ग फीट) साझा क्षेत्रों में यथानुपात हिस्सा सहित।
चौहद्दी :– पूरब : रघुवीर धाकड़ की भूमि ; पश्चिम : 15 फीट चौड़ी रोड ; उत्तर : श्री राकेश धाकड़ का प्लॉट ; दक्षिण : श्री सत्येन्द्र धाकड़ का मकान

आपको एतद्द्वारा विशेष रूप से चेतावनी दी जाती है कि उपरिवर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार बजाज फाइनैंस लिमिटेड की उपरिवर्णित बकाया राशि + भुगतान की तिथि तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपगत किए गए और किए जाने वाले सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों के अधीन होगा।

ध्यान दें कि अधोहस्ताक्षरी उपरिवर्णित सम्पत्ति बेचने की कार्यवाही और ऐसे उपाय करेगा, जो अधिनियम के प्रावधानों और तदधीन उनकी बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकारों के प्रवर्तन हेतु विरचित नियमों के अनुसार उपयुक्त एवं उचित समझे जाते हैं, जिसकी लागत एवं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

स्थान : शिवपुरी (मध्य प्रदेश) **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 20–09–2024 **कृते, मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड**

Markets,
Insight Out

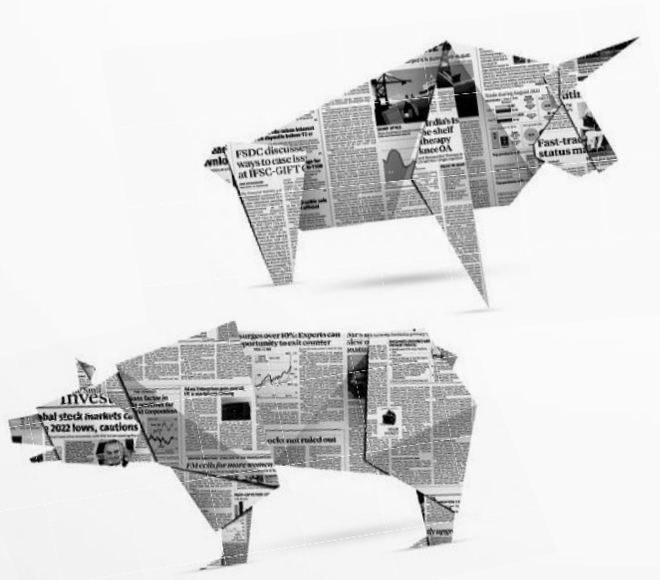

Markets, Monday to Saturday

To book your copy,
sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Years of Insight

businessstandard bsindia business-standard.com

SRG HOUSING FINANCE LIMITED — एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L65922RJ1999PLC015440
321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर – 313001 (राजस्थान)
दूरभाष : 0294–2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

परिशिष्ट – 4 {नियम 8 (1)} सांकेतिक की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए ''मांग पत्र'' जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का सांकेतिक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे **सांकेतिक कब्ज़ा** पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्ज़ा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चो, अन्य खर्चो आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर – 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्योर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र.	ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1.	**HLR0000000010008** श्री कृपाल वर्मा पुत्र श्री हिरा लाल वर्मा (ऋणी) श्रीमती अकिला वर्मा पत्नी श्री कृपाल वर्मा (सह- ऋणी) श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री बंशीलाल वर्मा (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 09, 2023 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 20, 2024 3) मांग राशि मांग प्त्र अनुसार- 3,61,740/- अक्षर रुपये तीन लाख इकसठ हज़ार सात सौ चालीस रुपये मात्र दिनांक मई 09, 2023 तक एवं मई 10, 2023 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री कृपाल वर्मा पुत्र श्री हिरा लाल वर्मा की सम्पति जो की मकान न.-21, वार्ड न.-02, पटवार हल्का न.-26, ग्राम-बावड़िया गोसाई, तहसील-इचच्वर, जिला -सिहोर (मध्य प्रदेश) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 931 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-सड़क, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-सुनील वर्मा का घर, दक्षिण-घासीराम का घर
2.	**HLR00000000009787** श्री जगदीश ओड़ पुत्र श्री अम्बालाल (ऋणी) श्रीमती कारी बाई पत्नी श्री जगदीश ओड़ (सह- ऋणी) श्री रोशनलाल ओड पुत्र श्री. दयाराम ओड (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मार्च 12, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 20, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 2,76,260/- अक्षर रुपये दो लाख छिहत्तर हज़ार दो सौ साठ रुपये मात्र दिनांक मार्च 09, 2024 तक एवं मार्च 10, 2024से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री जगदीश ओड़ पुत्र श्री अम्बालाल की सम्पति जो की मकान संख्या-75, वार्ड संख्या-05, ग्राम-बालागंज, पटवार हल्का न.-47, तहसील-मनासा, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1593 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-अनिल जी मकान, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- भगतराम जी मकान, दक्षिण- आम रास्ता
3.	**HLR0000000014644** श्री नंदकिशोर बद्रीलाल पुत्र श्री बद्रीलाल (ऋणी) श्रीमती गेना बाई पत्नी श्री नंदकिशोर (सह- ऋणी) श्री नरेंद्र दयाराम पुत्र दयाराम (जमानती-1) श्री गोकुल देवा जी पुत्र देवा जी (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 23, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 21, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 5,48,470/- अक्षर रुपये पांच लाख अड़तालीस हज़ार चार सौ सत्तर रुपये मात्र दिनांक अप्रैल 24, 2024 तक एवं अप्रैल 25, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री नंदकिशोर बद्रीलाल पुत्र श्री बद्रीलाल की सम्पति जो की पटवार हल्का न.-43, सरल न.-2583, मकान न.-24, ग्राम-नानुखेडा, तहसील-तराना, जिला- उज्जैन, (मध्य प्रदेश) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 926.12 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-स्थानीय मार्ग, पश्चिम-श्री दरियाव जी का घर, उत्तर-श्री छीटूलाल का घर, दक्षिण-श्री देवीलाल का घर
4.	**HLR0000000014722** श्री राकेश मदन लाल पुत्र श्री मदन लाल (ऋणी) श्रीमती रामकन्या राकेश पत्नी श्री राकेश मदन लाल (सह- ऋणी) श्री चेतन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार (जमानती-1) श्री दीपक राजोरिया पुत्र श्री. बाबूलाल (जमानती-2) श्री चेतन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार (जमानती-1) श्री दीपक राजोरिया पुत्र श्री बाबूलाल (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 03, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- सितम्बर 21, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 4,63,200/- अक्षर रुपये चार लाख तरेसठ हज़ार दो सौ रुपये मात्र दिनांक अप्रैल 24, 2024 तक एवं अप्रैल 25, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री राकेश मदन लाल पुत्र श्री मदन लाल की सम्पति जो की मकान न.-231, खसरा न.-289, पटवार हल्का न.-32, सरल न.-2498, ग्राम-गोलवा, तहसील-तराना, जिला-उज्जैन (मध्य प्रदेश) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 840 वर्ग फिट (78.06 वर्ग मीटर) है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-श्री जीवन राजोरिया का घर, पश्चिम-स्व. श्री राजेश राजोरिया का घर, उत्तर-श्री गोकुल देवड़ा की ज़मीन, दक्षिण-आम रास्ता

स्थान-उदयपुर **अधिकृत अधिकारी**
प्रकाशन की दिनांक- 26/09/2024 एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SONATA FINANCE — सार्वजनिक सूचना

सोनाटा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, सी.पी.-1, पी.जी. टावर, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ-226026
भारतीय रिज़र्व बैंक पंजीकरण संख्या: B-12.00445

यह सार्वजनिक सूचना, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी स्केल आधारित विनियमन) डायरेक्शन 2023 (मास्टर डायरेक्शन) के पैरा-43 (अध्याय VI) के अनुपालन में, सोनाटा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, के द्वारा अपनी कोलारस स्थित शाखा का परिचालन 31.12.2024 से बंद करने हेतु दी जा रही है।

भविष्य में इस शाखा के उधारकर्ताओं के लिए सभी सेवाएँ नीचे वर्णित शाखा द्वारा प्रबन्धित की जायेगी :

बन्द होने वाली शाखा का नाम और पता	वर्तमान शाखा का नाम और पता जो बन्द शाखा के उधारकर्ता को सेवा प्रदान करेगी
सोनाटा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलारस शाखा, स्टेशन रोड, कोलारस, जिला- शिवपुरी मध्य प्रदेश - 473774	सोनाटा फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवपुरी शाखा, कान्हा कुंज, शांति नगर, जिला- शिवपुरी मध्य प्रदेश - 473551

कोलारस शाखा का परिचालन बंद करने का निर्णय व्यावसायिक कारणों से लिया गया है तथा वर्तमान में कंपनी के द्वारा इस शाखा से कोई नया ऋण नहीं बाँटा जा रहा है।

हस्ताक्षरित
अनूप कुमार सिंह
(प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ)
DIN : 00173413

दिनांक - 25.09.2024

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001,
फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
ग्रीन पार्क शाखा:–बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय III की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों/सह–कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यों) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपरि, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	NHL/GRP/0219/652082, बी.ओ.: ग्रीनपार्क	अमृता दलेला और आशीष कुमार श्रीवास्तव पता:1– फ्लैट नंबर सी 601, एपेक्स ग्रीन वैली, सेक्टर 9, न्यायाधीश कॉलोनी के पास, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010। पता:2–फ्लैट नं.104 बी, दूसरी मंजिल, ओमेक्स सिटी आई, मायाखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश –452007। अमृता दलेला पता:3– आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड, बी 2/68, मोहन को ऑपरेटिव एरिया, फेज 2, बदरपुर, नई दिल्ली–110044,	NA	फ्लैट नं 104 बी, द्वितीय तल, ओमेक्स सिटी आई, मायाखेड़ी, इंदौर, मध्या प्रदेश–452007	12.09.2024	12.09.2024 तक रु. 27,12,886.81/– (रुपये सत्ताईस लाख बारह हजार आठ सौ छियासी और इक्यासी पैसे मात्र)

स्थान : मध्या प्रदेश, दिनांकित : 26-09-2024 **प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

GRIHUM HOUSING FINANCE — गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवाँ तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीटी. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात क्योंकि 17 नवंबर 2023 से प्रभावी होकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात तथा मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत उपरोक्त निगमित / पंजीकृत कार्यालय के प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिर्शांकित निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **20 सितंबर 2024** को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निर्धारित बकाया राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु प्रतिभूत ऋणदाता के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। अधिग्रहण में ली गयी संपत्ति के विवरण यहाँ इसमें निम्न प्रदर्शित तालिका में प्रस्तुतानुसार हैं :

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण लिये जाने की तिथि	साँविधिक माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना में राशि (रु.)
1.	सुल्तान सिंह, गुड्डी बाई सुल्तान सिंह	मकान नंबर 39 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो सर्वे नंबर 331, पीएच नंबर 57 पर, गाँव कल्लापिपलिया, एनए अधिमापन 3825 वर्ग फुट, पिन कोड–456550 में स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व–** स्वयं की भूमि, **पश्चिम–** आम सड़क, **उत्तर–** विष्णु बाई की भूमि और सोबन सिंह का घर, **दक्षिण–** सब सिंह सोला की भूमि।	20/09/2024	07/02/2024	**ऋण संख्या : HF0180H21100086** **रु. 750223.43/–** (रुपये सात लाख पचास हजार दो सौ तेईस तथा तैंतालीस पैसे मात्र) **07/02/2024** के अनुसार भुगतानयोग्य, साथ में वसूली होने तक 17 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज।
2.	देव सिंह, प्रकाश बाई देव सिंह	घर सं 45 के समस्त वह भाग तथा अंश जो डब्ल्यू नं. 331 पीएच नं. 57 पर गाँव कल्लापिपलिया तह. महिदपुर जिला उज्जैन 456550, अधिमापन 1742 वर्ग फीट, पिन कोड–456550 में स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व–** राम सिंह सोलंकी की कृषि भूमि, **पश्चिम–** रास्ता, **उत्तर–** श्री मदन सिंह का घर, **दक्षिण–** श्री राम सिंह सोलंकी का प्लॉट।	20/09/2024	07/03/2024	**ऋण संख्या : HF0180H21100259** **रु. 575713/–** (रुपये पाँच लाख पिचहत्तर हजार सात सौ तेरह मात्र) दिनाँक 07/03/2024 के अनुसार भुगतानयोग्य, साथ में वसूली होने तक 17.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज।

स्थान : मध्य प्रदेश **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
दिनाँक : 26/09/2024 **(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्रीमती ललिता बाई हरि कोहले श्री हरि कोहले श्री मोहन कोहले 20008290000799	सभी अचल संपत्ति जो प्लॉट नं.13, सर्वे नं.14/1 का हिस्सा, बंदोबस्त नं.11, लालबाग रैयत, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश-450331 पर स्थित है उत्तर: नाला, पूर्व: कॉमन रोड, पश्चिम: 26 फीट कॉमन रोड, दक्षिण: प्लॉट नं.12	25.06.2024	21.09.2024	रू.3,88,183.67
श्री दीपक बिलारे श्रीमती मालती बिलारे श्री कमल सिंह बिलारे 20008340001261, 20008340001566, 20008340002068	सभी अचल संपत्ति जो माप 1250 वर्ग फीट मौजा टिमरनी, वार्ड नंबर 14, खसरा नंबर 139/1, पटवारी हल्का नंबर 17/26, तहसील टिमरनी, जिला :हरदा मध्य प्रदेश-461331 पर स्थित है उत्तर: बड़ा भैया का खेत, पूर्व: शरज का मकान, पश्चिम: रास्ता, दक्षिण: इलारानी का मकान	16.03.2024	23.09.2024	रू.14,74,540.98 (कुल रकम)
श्री.विनोद कुमार राठौर श्रीमती.ललिता राठौर 20008340001962	सभी अचल संपत्ति जो प्लॉट नं.177, मौजा वार्ड नं.3, मोहनदास करमचंद गांधी, तहसील और जिला-हरदा, मध्य प्रदेश-461331 पर स्थित है उत्तर: सड़क, पूर्व: सड़क, पश्चिम: राजेंद्र धनगर का मकान, दक्षिण: गुलाबचंद का मकान	29.05.2024	23.09.2024	रू.22,23,681.59

स्थानः बुरहानपुर-हरदा **प्राधिकृत अधिकारी**
तारीखः 26/09/2024 **बंधन बैंक लिमिटेड**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि विभिन्न **अर्सिल ट्रस्ट ('अर्सिल')** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में आगे ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से **''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''आश्रय रहित आधार''** पर बेचा जायेगा।

कर्जदार का नाम	लैन नं. तथा बिक्रीकर्ता बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफैसी नोटिस दिनांक 02.02.2022 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार तथा तिथि	निरीक्षण की तिथि	सम्पत्ति का प्रकार तथा क्षेत्रफल	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) तथा बोली जमा करने की अन्तिम तिथि	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय तिथि
1. श्री दरबारा सिंह 2. श्री लालाकुवर	SEIN-DRE0072531 इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक	अर्सिल-रिटेल लोन फोर्टफोलियो -092-ए-ट्रस्ट ("अर्सिल")	रु. 2,63,750/- (रुपये दो लाख तिरेसठ हजार सात सौ पचास मात्र) तिथि 28.03 2019 तक + 29.03.2019 से परिगणित भावी ब्याज + विधिक व्यय	भौतिक कब्जा तिथि 24.12.2021	निवेदन पर संपन्न कराया जायेगा	फ्रीहोल्ड/क्षेत्रफल 55.70 वर्ग मीटर	रु. 12,000 (रुपये बारह हजार मात्र) उसी दिन 2 घंटे पहले नीलामी 15-10-2024 को 1.00 बजे अप.